

239-  
2021

प्रशासन गावी को रींग अधिनियम 2021

आदेश पत्र को संख्या में जारी की गई। विरक्ति अथवा  
 आदेश पत्र को संख्या में जारी की गई। विरक्ति अथवा  
 आदेश पत्र को संख्या में जारी की गई। विरक्ति अथवा

दिनांक 21-10-20  
 जमावन्दी संख्या 1119 के अन्तर्गत 239-2021 के अन्तर्गत विरक्ति अथवा  
 आदेश पत्र को संख्या में जारी की गई। विरक्ति अथवा

पूरा ही उपखण्ड अधिनियम की मतेय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेक है कि आदेश पत्र में वर्णितानुसार आदेशक  
 का नाम दुबारा दिया जाना उचित है/उचित नहीं है। आदेशक का नाम पुनरावृत्ति जारी करने की अधिनियम की जाती है /  
 नहीं जाती है।

श्री/श्रीमती  
 ग्राम पंचायत की  
 संस. उदयपुरवाटी (गुडगाँव)  
 जिला राजसूरी एवं पदेन सहायक फालगुवर उदयपुरवाटी जिला सहायक (राज.)

21-10-20  
 सहरीलदार, उदयपुरवाटी/गुडगाँव

दिनांक :- 21-10-20

प्राची को "खाता सुरक्षी" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरसाधेजी खातों एवं सहरीलदार (गुडगाँव)  
 उदयपुरवाटी/गुडगाँव की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान गू-राजसूरी अधिनियम, 1950 की धारा 130 के अन्वय में  
 निर्धारित दर्जा प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर सहरीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँव को राजसूरी  
 खातों में अमल दरसाधे के आदेश दिये जाते हैं।

सं.	भाग	जमावन्दी-संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजसूरी खातों में दर्ज की जानी है।)
1	गौडा	2075-2078	1119	वावेड़ी कुली गौला	संगीष कुली गौला

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21-10-20

239-240

सहरीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँव को वास्ते पालनार्थ।  
 थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

